उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

DB 383864

प्रथम पक्ष — मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर। जनपद–गोरखपुर।

द्वितीय पक्ष (सेवाप्रदाता) — मेसर्स संतोष कुमार सिंह, न्यू, कजाकपुर, गोरखपुर।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत *''सपोर्टिंग सुपरविजन''* के संचालन के संबंध में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2014–15/211/10841–75 दिनांक–17/03/2017 के क्रम में जनपद गोरखपुर में अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से नवीन वाहन निविदा होने तक होगी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में नवीन निविदा होने पर यह अनुबन्ध पत्र स्वतः समाप्त हो जायेगा।

1. द्वितीय पक्ष जिला गोरखपुर के विकास खण्ड बेलघाट, उरूवां, गगहा, कौड़ीराम, पिपरौली, बांसगांव, गोला, खोराबार, खजनी व डेरवा में **''सपोर्टिंग सुपरविजन''** के अन्तर्गत स्वास्थ्य इकाई सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर वाहन संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

i. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वातानुकूलित रहित वाहन सफारी, सूमो, बोलेरो, पूर्व अनुबन्धित शर्तो की दर से अधिकतम 25 दिवस का भुगतान होगा।

ii. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए–
   - वाहन टैक्सी में पंजीकृत होना चाहिए।
   - वाहन अनुबन्ध की तिथि से 04 वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीकृत होना चाहिए। इससे अधिक पुराना न हो।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में ईंधन द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन एवं टीम या अन्य किसी प्रकार की क्षति जिसके क्षतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्ष की कम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन पूर्ण बीमा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना चाहिए।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पर्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की भार्तो की अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0–15000.00 की धरोहर राशि जमा है, जो निविदा समाप्तोपरान्त प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3. ''सपोर्टिंग सुपरविजन'' के सफल संचालन हेतु वाहन चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर व पूरा पता अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु0/प्रा0स्वा0केनद्र के पास साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना होगा।

4. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादित करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई के चिकित्सा

संतोष कुमार सिंह

Chief Medical Officer

अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा। जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किया गया वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका होई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी नशे की हालत में वाहन संचालन नही करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
6. द्वितीय पक्ष को आवंटित इकाई पर पर्यवेक्षण कार्य हेतु वाहन उपलब्ध करायेगा। जिसके लिए अधिकतम 25 दिवस हेतु भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने का प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूटफूट 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
8. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूटफूट 24 घण्टे के अन्दर सुधार सराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार–संबंधी एवं साहित्य आादि का परिचालन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
11. अनुबन्ध के समय कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा संबंधित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उसका निर्णय दोनो पक्षो का मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा। वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का एवं कभी भी किसी समय निरस्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
13. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों पर वाहन चलाने हेतु अनुबन्ध किया जाता है। जो निम्नवत् है–

Supporting Supervision

Sl. No.	Name of Block	Registration No. of Vehicle	Tender Rate Approved
1	Belghat	UP77 L 1837	30000.00
2	Uruwa	DL 1 Z 6343	30000.00
3	Gagaha	UP53 BA1110	29400.00
4	Kauriram	UP53 CA8303	29500.00
5	Piprauli	UP53 BF1215	29400.00
6	Bansgaon	UP53 BL6626	30000.00
7	Gola	UP60 T 7044	29900.00
8	Khorabar	UP53 BD4607	29700.00
9	Khajni	UP53 BM8703	30000.00
10	Derwa	UP53 DT6462	28900.00

स्थान–गोरखपुर
दिनांक–31.03.2017

हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार सिंह

मेसर्स संतोष कुमार सिंह
न्यू, कजाकपुर, गोरखपुर
(द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर

Chief Medical Officer
Gorakhpur

मुख्य चिकित्साधिकारी
गोरखपुर
(प्रथम पक्ष)

गवाहः–

1. सन्दीप प्रताप सिंह
ग्राम – गम्भीरपुर
पोस्ट – कौड़ी डिला –
गोरखपुर

1. Kehwa pratap Singh
Jangle Tulsi Ram
Birchhiya Gorakh

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CH 691277

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष	मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर। जनपद–गोरखपुर।
द्वितीय पक्ष (सेवाप्रदाता)	मेसर्स ज्योति इण्टरप्राइजेज, कालेपुर, गोरखपुर।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत *"सपोर्टिंग सुपरविजन"* के संचालन के संबंध में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 211 / 10841–75 दिनांक–17 / 03 / 2017 के क्रम में जनपद गोरखपुर में अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से नवीन वाहन निविदा होने तक होगी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में नवीन निविदा होने पर यह अनुबन्ध पत्र स्वतः समाप्त हो जायेगा।

1. द्वितीय पक्ष जिला गोरखपुर के विकास खण्ड पाली, सहजनवां, जं0 कौड़ियां, कम्पियरगंज, भटहट, पिपराइच, सरदारनगर, चरगांवां, ब्रह्मपुर, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर व अपर निदेशक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर में **"सपोर्टिंग सुपरविजन"** के अन्तर्गत स्वास्थ्य इकाई सामु0 / प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर वाहन संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

i. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वातानुकूलित रहित वाहन सफारी, सूमो, बोलेरो, पूर्व अनुबन्धित शर्तो की दर से अधिकतम 25 दिवस का भुगतान होगा।

ii. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए–
   - वाहन टैक्सी में पंजीकृत होना चाहिए।
   - वाहन अनुबन्ध की तिथि से 04 वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीकृत होना चाहिए। इससे अधिक पुराना न हो।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में ईंधन द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन एवं टीम या अन्य किसी प्रकार की क्षति जिसके क्षतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्ष की कम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन पूर्ण बीमा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना चाहिए।

iv. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पर्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की भार्तो की अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू0 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रू0–15000.00 की धरोहर राशि जमा है, जो निविदा समाप्तोपरान्त प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3. "सपोर्टिंग सुपरविजन" के सफल संचालन हेतु वाहन चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर व पूरा पता अधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु0 / प्रा0स्वा0केनद्र के पास साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना होगा।

M/s Jyoti Enterprises

4. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निश्पादित करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा। जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किया गया वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका होई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी नशे की हालत में वाहन संचालन नही करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
6. द्वितीय पक्ष को आवंटित इकाई पर पर्यवेक्षण कार्य हेतु वाहन उपलब्ध करायेगा। जिसके लिए अधिकतम 25 दिवस हेतु भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने का प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूटफूट 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
8. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूटफूट 24 घण्टे के अन्दर सुधार सराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार–संबंधी एवं साहित्य आादि का परिचालन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
11. अनुबन्ध के समय कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा संबंधित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उसका निर्णय दोनो पक्षो का मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा। वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का एवं कभी भी किसी समय निरस्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
13. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों पर वाहन चलाने हेतु अनुबन्ध किया जाता है। जो निम्नवत् है–

Supporting Supervision			
Sl. No.	Name of Block	Registration No. of Vehicle	Tender Rate Approved
1	Sahjanwa	UP53 CT6266	29990.00
2	Pipraich	UP56 T 6797	29990.00
3	Bhathat	UP53 DT7740	29800.00
4	Brahmpur	UP53 DT2346	29300.00
5	Campeerganj	UP53 AY4326	29700.00
6	Charganwa	UP53 DT1632	29400.00
7	Paali	UP53 DT6762	30000.00
8	Jungle Kauria	UP53 DT0881	29990.00
9	Sardar Nagar	UP53 CT9538	29990.00
10	Ad. Office	UP53 DT2693	29800.00
11	CMO Office	UP53 DT6313	30000.00

स्थान–गोरखपुर
दिनांक–31.03.2017

हस्ताक्षर
M/s Jyoti Enterprises
Proprietor
मेसर्स ज्योति इण्टर प्राइजेज
कालेपुर, गोरखपुरं
(द्वितीय पक्ष)

गवाह:–
1. .....

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी
Chief Medical Officer
Gorakhpur
गोरखपुर
(प्रथम पक्ष)

1. .....